(वाद संख्या–2217/19)

17.02.2021

परिवादी, अधिवक्ता असार इन्दौरी, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, National Confederation of Human Rights Organisation (NCHRO), द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिलान्तर्गत डुमरा थाना के हाजत में पुलिसकर्मियों द्वारा पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला के चकिया थानान्तर्गत ग्राम रमडीहा निवासी 35 वर्षीय मो0 मोलाजिम तथा 30 वर्षीय मैनुल की हत्या किये जाने से संबंधित मामले में जिम्मेवार सभी आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई कर कठोर सजा दिये जाने, मृत उपरोक्त दोनों युवकों के परिजनों को 50–50 लाख रुपये मुआवजा दिये जाने व मृतक गुफरान की पत्नी को सरकारी नौकरी दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त पर पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी द्वारा राज्य आयोग को प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन मामले में सूचक मनौवर अली के लिखित आवेदन पर डुमरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष व थाना के अन्य पुलिसकर्मियों के विरूद्ध, मो0 गुफरान व मो0 तसलीम के साथ मारपीट कर हत्या करने के आरोप में भा0द0स0 की धाराओं 302/326/394/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत मामला संस्थित कर अनुसंधानोपरान्त 1. सिपाही/614, अमित कुमार को फरार दर्शाते हुए, 2. पु0अ0नि0, चन्द्रभूषण कुमार सिंह, 3. पु0अ0नि0, सोनी कुमारी, 4. पु0अ0स0नि0 अरूण कुमार, 5. सिपाही/110, मुन्ना कुमार, 6. सिपाही/601, रविराज, 7. सिपाही/508, पंकज कुमार के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 323/302/120बी/34 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित करने का आदेश दिये जाने हेतु पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को अनुशंसा कर दी गयी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रसंगाधीन मामले में बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा समाचार–पत्रों में तत्संबंधी समाचार प्रकाशन के बाद स्व–प्रेरणा (Suo Motu) संज्ञान लेकर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांक 01.10.2019 को पारित आदेश (छाया प्रति संलग्न) द्वारा मृतक मो0 तसलीम अंसारी के आश्रित को क्षतिपूर्ति के रूप में 05,00,000/–रुपये तथा दूसरे मृतक गुफरान आलम के आश्रित को 07,00,000/–रुपये भुगतान करने की अनुशंसा राज्य सरकार से की गयी, जिसका राज्य सरकार द्वारा अनुपालन कर दिया गया है।

जहां तक मृतक गुफरान आलम की पत्नी को सरकारी नौकरी दिये जाने से सम्बन्धित अनुशंसा का प्रश्न है यह विषय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। वैसे मृतक गुफरान आलम की पत्नी, अगर चाहे तो नियमानुसार राज्य सरकार के समक्ष अनुकंपा के आधार पर अपनी नियुक्ति हेतु याचना कर सकती हैं जिस पर राज्य सरकार अपने विवेक के आधार पर स्वयं निर्णय लेने हेतु सक्षम होगा।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ संचिका संख्या– BHRC Suo Moto-4/19 के अन्तर्गत दिनांक 01.10.2019 को पारित राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश व पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी (पृ0–17–16/प0) के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर परिवादी को **e-mail** तथा डाक के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाय।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक